तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इंनिशिवल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/12/25	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के वकील उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत ड्रोप किये जाने कार्यवाही मय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के डी. बी. सिविल फर्स्ट अपील संख्या 640/2025 में दिनांक 14.11.2025 को पारित आदेश की प्रति सहित पेश कर दौराने बहस कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश द्वारा प्रकरण में Coercive Action नहीं लिये जाने के आदेश दिये गये हैं। अतः यह कार्यवाही ड्रोप की जावे। इसके विपरीत वकील प्रार्थी ने कुथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च नयायालय जयपुर द्वारा कार्यवाही ड्रोप किये जाने का आदेश प्रदान नहीं किया है इसलिये प्रकरण को ड्रोप नहीं किया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावे। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के डी. बी. सिविल फर्स्ट अपील संख्या 640/2025 में दिनांक 14.11.2025 को पारित आदेश का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने "Issue notice to respondents, returnable within six weeks. Meanwhile, no coercive steps shall be taken." निर्देश प्रदान किये हैं। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के विचाराधीन डी. बी. सिविल फर्स्ट अपील संख्या 640/2025 का निस्तारण होने तक हस्तगत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही स्थगित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तामील अभिलेख में प्रविष्ट हो। आदेश सुनाया गया। जिला कलक्टर बारां (राज॰)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.30 17:48:06 IST
Reason: SelfAttested